



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

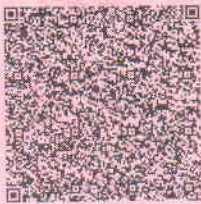
e-Stamp

Certificate No. : IN-UP77510433543585U  
Certificate Issued Date : 26-Aug-2022 01:54 PM  
Account Reference : NEWIMPACO (SV)/ up14483304/ SIKANDARA/ UP-KND  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1448330447229852404546U  
Purchased by : J S B J S S JAIPUR BY JAWAHAR SINGH  
Description of Document : Article 35 Lease  
Property Description : GATA NO- 127 128 LEASE AREA- 8150 SQMT VILL- JAIPUR TEH- SIKANDRA DIST- KANPUR DEHAT  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : JAWAHAR SINGH SON OF LATE JAYRAM SINGH AND OTHER  
Second Party : J S B J S S JAIPUR BY JAWAHAR SINGH  
Stamp Duty Paid By : J S B J S S JAIPUR BY JAWAHAR SINGH  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,800  
(One Thousand Eight Hundred only)

LOCKED

₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800

₹1,800



सत्यमेव जयते

IN-UP77510433543585U

Please write or type below this line



Signature of Jawahar Singh

Signature of Jawahar Singh

Signature of Jawahar Singh

Signature of Jawahar Singh

0008350095

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

लीज डीड

कार्यालय का नाम— : उपनिबन्धक सिकन्दरा।

औसत वार्षिक किराया : 15,000 /—रुपया प्रति वर्ष

अवधि— : 30 वर्ष (दिनांक 26.08.2022 से 25.08.2052 तक)

स्टाम्प— : 01 वर्ष के लाभान्स का 06 गुना— 90,000 /—रुपया  
1,800 /—रुपया

ग्राम— : जैतापुर।

परगना— : सिकन्दरा

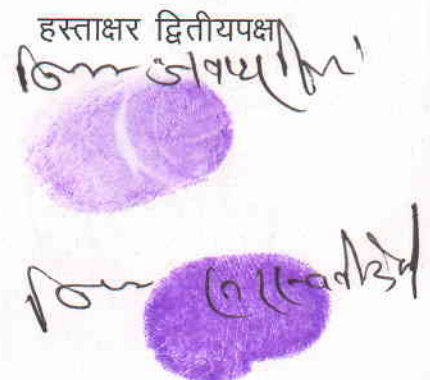
जनपद— : कानपुर देहात।

सम्पत्ति— : आराजी सं०— 128 का रकवा 0.2490 में से  
0.2000हे० व गाटा सं०— 127 का रकवा 0.6150हे०  
सम्पूर्ण रकवा कुल रकवा 0.8150हे०(8150.00 वर्गमीटर)

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष



प्रथमपक्ष (लीज डीड दाता)–

जवाहर सिंह पुत्र स्व० जयराम सिंह

श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी जवाहर सिंह

निवासीगण ग्राम जैतापुर परगना व तहसील  
सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6453 मोबाइल  
नम्बर– 9918158566 प्रथमपक्ष।

एवं

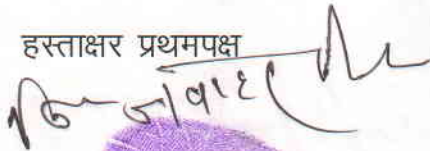
द्वितीयपक्ष (लीज डीड ग्रीहता)–

जयश्री बालाजी जनसेवा एवं शिक्षा समिति

जैतापुर जनपद कानपुर देहात द्वारा अध्यक्ष व  
उपाध्यक्ष/प्रबन्धक जवाहर सिंह पुत्र स्व०  
जयराम सिंह व सरस्वती देवी पत्नी जवाहर  
सिंह निवासीगण ग्राम जैतापुर मंगलपुर परगना  
व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8241 मोबाइल  
नम्बर– 9794600244 द्वितीयपक्ष।

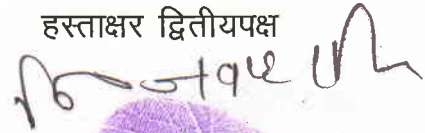
हस्ताक्षर प्रथमपक्ष







हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष





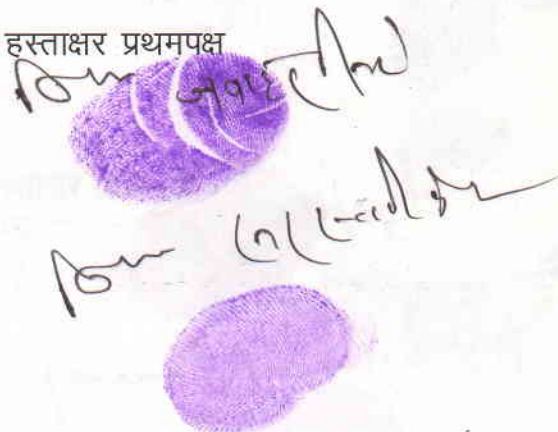


जो कि प्रथमपक्ष गाटा सं०- 128, 127 वाकै मौजा जैतापुर परगना व तहसील सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के मालिक काविज है। जो तमाम वारो से पाक व साफ है। जिसे मुक़िर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो कि उपरोक्त आराजी में रकवा 0.8150हे० यानी (8150.00 वर्गमीटर) का लीज डीड प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य आज दिनांक 26.08.2022 को दिनांक 26.08.2022 से 25.08.2052 तक के लिये तकमीर की जा रही है।

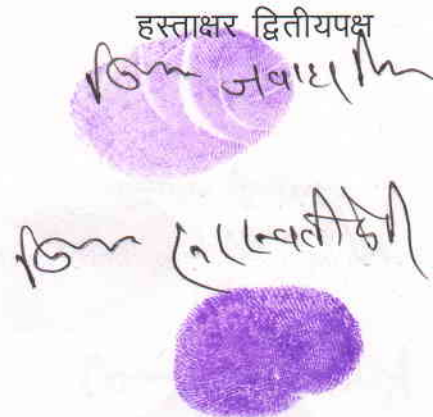
जिसकी शर्तें निम्न हैं कि—

1. यह कि 15,000/—रुपया प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष से लाभांश मुवलिग 4,50,000/—रुपया होगा जो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण 30 वर्ष का लाभांश मुवलिग 4,50,000/—रुपया उपरोक्त लाभांश प्रथमपक्ष व समिति के सभी सदस्यों को सहज स्वीकार है। 15,000/— रुपया प्रति वर्ष प्रथमपक्ष प्राप्त करता रहेगा।
2. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य जो शर्तें हुई हैं उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे अव समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

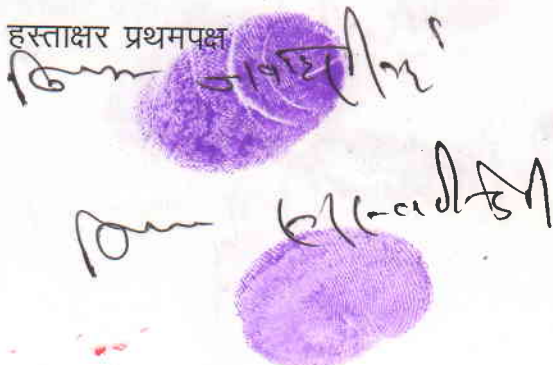


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

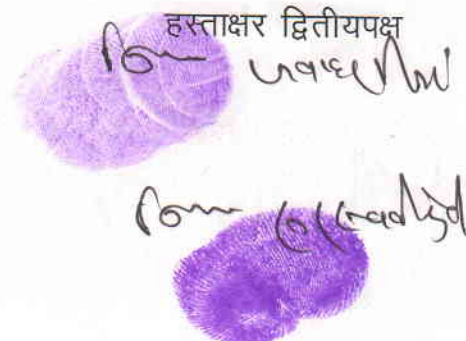


3. यह कि दोनो पक्ष संपत्ति हस्तान्तरण एक्ट 1882 (Transfer of Property Act 1882) अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधानो का पालन करेंगे।
4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अथवा लेने के बाधक हो।
5. यह कि यह लीज दिनांक 26.08.2022 से 30 वर्षों हेतु परिवर्तनीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी। अथवा दोनो पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।
6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी गैर, सरकारी अथवा व्यक्ति से वित्तीय देनदारियों शेष नहीं है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक-साफ है।
7. यह कि द्वितीयपक्ष (लीज ग्रहीता) को इस भूमि/भवन को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान के भवन का निर्माण अथवा निर्मित भवन में परिवर्तन कराकर सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष



9. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान विधिक हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
10. यह कि द्वितीयपक्ष लीज की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।
11. यह कि आवश्यकतानुसार यदि द्वितीयपक्ष को किसी भी विधिक, सरकारी कार्य हेतु स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है तो प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

इस वास्ते प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ़ सुनकर कतई तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक 26.08.2022ई0 को प्रथमपक्ष ने मौजा जैतापुर खसरा नम्बर 128 रकवा 0.2490हे0 में से 0.2000हे0 व गाटा सं0- 127 रकवा 0.6150हे0 कुल रकवा 0.8150हे0 पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाइप कराकर तैयार किया गया है। विदित हो कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व गवाहान के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष


आवेदन सं०: 202200847004105

पट्टा अनुबंध विलेख

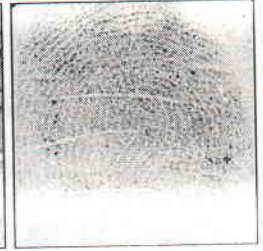
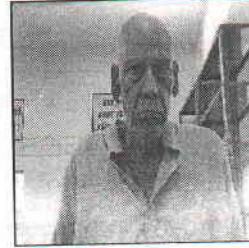
बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3549

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 900 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 960

श्री ज०ब०ज०शि०स०द्वारा जवाहरसिंह,  
पुत्र श्री स्व० जयराम सिंह  
व्यवसाय : कृषि  
निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/08/2022 एवं 04:21:48 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द श्रीवास्तव प्रभारी  
उप निबंधक सिकंदरा  
कानपुर देहात  
26/08/2022

प्रतिपाल सिंह यादव  
निबंधक लिपिक  
26/08/2022

प्रिंट करें



विवरण किरायानामा दी गयी भूमि स्थित मौजा जैतापुर परगना व तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात।

| खाता सं० | गाटा सं० | रकवा   | लगान       |
|----------|----------|--------|------------|
| 59       | 128      | 0.2490 | बमूजिब 60ख |

उपरोक्त आराजी काशत में मुझ प्रथमपक्षगणो का सम्पूर्ण रकवा है अपने हिस्से से मात्र 0.2000हे० यानी 2000.00 वर्गमीटर वमुददत 30 वर्ष के लिए किराये पर द्वितीयपक्ष को दिया है।

| खाता सं० | गाटा सं० | रकवा   | लगान       |
|----------|----------|--------|------------|
| 62       | 127      | 0.6150 | बमूजिब 60ख |

उपरोक्त आराजी काशत में मुझ प्रथमपक्ष का सम्पूर्ण रकवा यानी 0.6150हे० यानी 6150.00 वर्गमीटर वमुददत 30 वर्ष के लिए किराये पर द्वितीयपक्ष को दिया है।

विवरण :- चौहददी गाटा सं०- 128 व 127

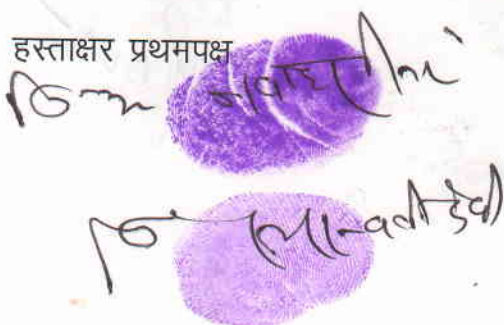
पूरब- सिकन्दरा झींझक मार्ग।

पश्चिम- पृथ्वी पाल सिंह का खेत।

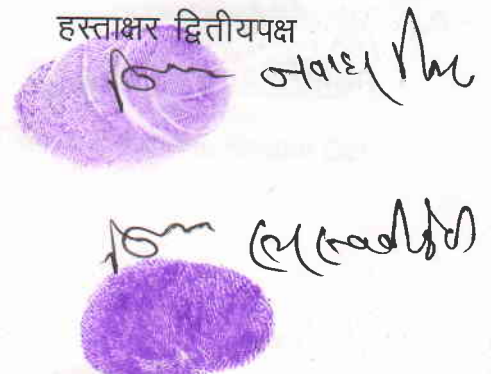
उत्तर- रामगोपाल आदि का खेत।

दक्षिण- रामगोपाल आदि का खेत।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3549

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पदटा दाता: 1

श्री जवाहर सिंह, पुत्र श्री स्व० जयराम सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

पदटा दाता: 2

श्रीमती सरस्वती देवी, पत्नी श्री जवाहर सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

पदटा गृहीता: 1

श्री ज०ब०ज०शि०स०द्वारा जवाहरसिंह, पुत्र श्री स्व० जयराम सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

पदटा गृहीता: 2

श्रीमती सरस्वती देवी, पत्नी श्री जवाहर सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री रजपाल सिंह, पुत्र श्री शिवशंकर सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2

श्री राजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री रामचरण सिंह

निवासी: नि० जैतापुर तहसील सिकंदरा जिला कानपुर देहात

व्यवसाय: कृषि

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

प्रिंट करे



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द श्रीवस्तव प्रभारी  
उप निबंधक : सिकंदरा  
कानपुर देहात  
26/08/2022

प्रतिपाल सिंह यादव  
निबंधक लिपिक कानपुर देहात  
26/08/2022

नजरी नक्शा स्थित मौजा - जैतापुर तहसील सिकन्दरा जिला कानपुर देहात जिसकी 200 मीटर त्रिज्या का नक्शा व चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर

दक्षिण

विवरण :- चौहद्दी गाटा सं०- 127 व 128

पूरब- सिकन्दरा झींझक मार्ग।

पश्चिम- पृथ्वी पाल सिंह खेत।

उत्तर- रामगोपाल आदि का खेत।

दक्षिण- रामगोपाल आदि का खेत।

गवाह नं० 1- रजपाल सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी जैतापुर तह० सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

मो०नं०- 9569336019 .....



गवाह नं० 2- राजेश कुमार सिंह पुत्र रामचरन सिंह निवासी जैतापुर तह० सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

मो०नं०- 8960441229.....



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

*[Handwritten signature of Rajpal Singh]*

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

*[Handwritten signature of Rajesh Kumar Singh]*

निष्पादित दिनांक -26.08.2022

Drafted & Typed by my  
Personal list

**BRAJESH KUMAR SINGH**

Advocate.

Tehsil- Sikandra, Kanpur Dehat

आवेदन सं०: 202200847004105

बही संख्या : जिल्द संख्या 2298 के पृष्ठ 213 से 228 तक क्रमांक  
3549 पर दिनांक 25/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आनन्द श्रीवास्तव प्रभारी  
उप निबंधक : सिकंदरा  
कानपुर देहात  
26/08/2022